

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 28, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 19, 2025 Kartika 28, Wednesday, Saka 1947- November 19, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 14, 2025

जी.एस.आर.103 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का प्रतिस्थापन.- राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“अनुसूची

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	पद जिससे पदोन्नति द्वारा भर्ती की जानी है।	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता		ऊपरी आयु सीमा	अभ्युक्ति
				शैक्षिक	अनुभव	शैक्षिक	अनुभव		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	आई.ए.एस./आर.ए.एस. संवर्ग द्वारा भरे जाने

									है
2	अतिरिक्त निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	संयुक्त निदेशक	-	स्तंभ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-	-	-	-
3	संयुक्त निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	उप निदेशक	-	स्तंभ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-	-	-	-
4	उप निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	सहायक निदेशक	-	स्तंभ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-	-	-	-
5	सहायक निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	विपणन अधिकारी	-	स्तंभ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-	-	-	-
6	विपणन अधिकारी	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के उपबन्धों के अनुसार,	कनिष्ठ विपणन अधिकारी (अधीनस्थ सेवा में का पद)	कृषि विपणन में विशेषज्ञीय प्रशिक्षण	स्तंभ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 12 में यथा अधिकथित अर्हता	-	40 वर्ष	-

		सीधी भर्ती द्वारा							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

”

[सं. एफ.1(2)डीओपी/ए-II/83]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
मुकुट बिहारी जांगिड़,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, November 14, 2025

G.S.R.103 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan State Agricultural Marketing Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986 shall be substituted by the following, namely:-

" SCHEDULE

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment with percentage	Post from which recruitment by promotion is to be made.	Minimum qualification for promotion		Minimum qualification for direct recruitment		Upper age limit	Remark
				Education	Experience	Education	Experience		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Director	-	-	-	-	-	-	-	To be filled in by appointing an officer of the Indian Administrative Service or Rajasthan Administrative Service.
2.	Additional Director	100% by promotion	Joint Director	-	5 years experience on the post mentioned	-	-	-	-

					in column 4				
3.	Joint Director	100% by promotion	Deputy Director	-	5 years experience on the post mentioned in column 4	-	-	-	-
4.	Deputy Director	100% by promotion	Assistant Director	-	5 years experience on the post mentioned in column 4	-	-	-	-
5.	Assistant Director	100% by promotion	Marketing Officer	-	5 years experience on the post mentioned in column 4.	-	-	-	-
6.	Marketing Officer	50% by promotion and 50% by direct recruitment in accordance with the provisions of the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999	Junior Marketing Officer (Post of Subordinate Service)	Specialised training in Agricultural Marketing	5 years' experience on the post mentioned in column 4.	Qualification as laid down in rule 12 of the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999	-	40 years'	-

[No. F.1(2)DOP/A-II/83]

By order and in the name of the Governor,
MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.